

# अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य  
(जुलाई 2026)

- बी.एल.ई.-001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय  
बी.एल.ई.-002 : कानून का परिचय  
बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह  
बी.एल.ई.-004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन



विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068

## अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

### सत्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

**आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :**

जनवरी के लिए 30 सितम्बर, 2026

जुलाई के लिए 30 मार्च, 2026 तक

### सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

- 1) **योजना** : सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- 2) **आयोजन** : अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

- क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
- ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
- ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

- 3) **प्रस्तुतिकरण** : एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

**शुभकामनाओं के साथ!**

**कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)**

# बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.-003  
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.-003 / टी.एम.ए. / 2026  
अधिकतम अंक : 100

निम्नलिखित में से किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

1. बलात्कार और दहेज की चर्चा, महिलाओं के प्रति एक प्रकार की हिंसा के रूप में कीजिए। आपकी राय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण क्या है?
2. बंधुआ मजदूरी को परिभाषित कीजिए। इसकी रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की चर्चा कीजिए।
3. किशोर न्याय (देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम, 2000) के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।
4. शिक्षा का अधिकार क्या है। यह अधिकार बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा सुनिश्चित किया गया है?
5. कार्य स्थल में महिला यौन उत्पीड़न के निवारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की चर्चा कीजिए।
6. अनसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्रमुख अपराधों की चर्चा कीजिए।
7. ऐसे क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नियमित रूप से समान कामकाज के लिए कम मेहनताना अदा किया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध कानूनी सूतक्षा पर प्रकाश डालिए।
8. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
9. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति के संबंध में बाल अधिकारों की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए।
10. महिला श्रमिकों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।